ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-6* July- 2021
Innovation The Research Concept

स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति
Current Status of Women Education

Paper Submission: 15/07/2021, Date of Acceptance: 25/07/2021, Date of Publication: 26/07/2021

अनीता मीना
असिस्टेंट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
राजकीय रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय,
भरतपुर, राजस्थान, भारत

संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है– 'नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मातृ समो गुरुः'. अर्थात् संसार में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है' – यह बात पूरी तरह सच है। बालक के विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को जीवन का प्रथम पाठ पढ़ाती है। जीवन की नई रूपरेखा तैयार करने में स्त्रियों की शिक्षा कई गुना अधिक उपयोगी है। इसलिए स्त्री शिक्षा के लिए सार्थक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही वयस्क जीवन के प्रति स्त्रियों के विकास के लिए एक आधार के रूप में, अन्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए स्त्रियों को सक्षम करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर स्त्रियाँ शिक्षित हों तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय विकास में मदद करता है। आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होती है। स्त्री शिक्षा एक अच्छे समाज के नव–निर्माण में मदद करती है। अतः स्त्री शिक्षा को सबलता देने के सभी दिशाओं में सशक्त प्रयास अपेक्षित है ।

There is a famous hymn in Sanskrit - 'Nasti Vidyasam Chakshurnasti Matru Samo Gururh'. That is, there is no eye like knowledge in the world and there is no teacher like mother' - this is completely true. The first and foremost influence on the development of a child is that of his mother. Mother teaches her child the first lesson of life. Women's education is many times more useful in preparing a new outline of life. Therefore, meaningful efforts should be made for women's education. Because education plays a particularly important role in enabling women to secure other rights, as a basis for women's development towards adult life. If women are educated then they can solve all the problems in their homes. Women's education helps in national and international development. Helps in economic development and growth of a nation's GDP. Women's education helps in the new construction of a good society. Therefore, vigorous efforts are required in all directions to strengthen women's education.

मुख्य शब्द : स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति– अवधारणा, पद्धति, सन्दर्भित, संस्कारग्राही, महत्वपूर्ण, सामाजिक, अशिक्षित, स्वाधीनता, अज्ञानता, परतन्त्रता, रूढ़िवादिता, असहायता, सम्मानजनक, नैसर्गिक, स्वावलम्बन, जीविकोपार्जन, सशक्तिकरण, साक्षरता, परावलम्बी, परमुखापेक्षी, उदासहीनता।

Current Status of Women's Education - Concept, Methodology, Contextual, Cultured, Important, Social, Uneducated, Independence, Ignorance, Dependency, Conservatism, Helplessness, Respectable, Natural, Self-Reliance, Livelihood, Empowerment, Literacy, Parasitism, Absolute, Indifference.

प्रस्तावना

स्त्री शिक्षा – स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह शामिल करने से सम्बन्धित है। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को सन्दर्भित करता है। शिक्षा वयस्क जीवन के प्रति स्त्रियों के विकास के लिए एक आधार के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा अन्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्त्री शिक्षा का कितना महत्त्व है, इस पर चिन्तन करना आवश्यक है। हमारे मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास, घरों के

सुधार और शैशव के सर्वाधिक संस्कारग्राही वर्षों में बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। स्वामी दयानन्द जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन तथा परिवार के क्रियाकलाप तब तक उचित ढंग से नहीं दिए जा सकते, जब तक स्त्रियों को शिक्षा न मिले। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि वही देश उन्नति कर सकते है, जहाँ स्त्रियों को उचित स्थान दिया जाता है तथा उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाता है। गाँधी जी ने कहा है कि स्त्रियों को वही शैक्षिक सुविधाएँ दी जाये जो पुरुषों के लिये थे। यदि हो सके तो उन्हें विशेष सुविधाएँ मिलनी चाहिए। जवाहर लाल नेहरु ने कहा है कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है किन्तु एक लड़की शिक्षा सारे परिवार की शिक्षा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1948–49) ने स्त्री शिक्षा का महत्त्व इस प्रकार बताया है – 'स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि शिक्षा को पुरुषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करने का प्रश्न हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाए क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है।' श्रीमती हंसा मेहता समिति (1962) का कथन है कि यदि नए समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। शिक्षा आयोग (1964–66) ने लिखा है – 'स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। लड़कियों की शिक्षा पर जितना भी जोर दिया जाए उतना ही थोड़ा है।' इस आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा पर अनेक कारणो से बल दिया है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित बिन्दु अवलोकनीय है–

1. स्त्री शिक्षा का हमारे मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।
2. स्त्री शिक्षा से घरों का सुधार होता है।
3. स्त्रियों की शिक्षा का शैशव के सर्वाधिक संस्कारमय वर्षों में चरित्र का निर्माण में आपने विशेष स्थान है।
4. स्त्रियों की शिक्षा प्रसवन–दर को घटाने में काफी सहायता कर सकती है।
5. घर की चारदीवारी के बाहर स्त्रियों का कार्य आज देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है और आगामी वर्षों में वह और भी बड़ा आकार ग्रहण कर लेगा, जिसका प्रभाव अधिकतर स्त्रियों पर पड़ने लगेगा।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि महिलाओं को शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से समान स्तर लाने के लिए विशेष कार्य–कलापों की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण के कार्य में सुशिक्षित महिलाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा योजना विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करनी होगी।

16 दिसम्बर, 1993 को नौ देशों के 'सभी के लिए शिक्षा' सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा तथा उन्हें अधिकार दिए जाने की ओर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। सम्मेलन में विद्वानों ने बताया कि अशिक्षित स्त्री की प्रसवन दर 5.1 है, आठवीं तक पास की प्रसवन दर 4.0 दसवी पास तक की 3.1 तथा स्नातक पास की प्रसवन दर 2.1 है। इसी प्रकार की दर से उत्पादन में शिक्षित तथा अशिक्षित स्त्रियों का योगदान है।

सन् 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरान्त स्त्रियों की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। अज्ञानता, परतन्त्रता, रूढ़िवादिता तथा असहायता के बन्धनों से मुक्त होकर स्त्रियाँ आज एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रही है। स्त्रियों से सम्बन्धित सामाजिक मान्यताएँ बदलती जा रही है। भारतीय संविधान में पुरुषों तथा स्त्रियों को पूर्णरूपेण समान दर्जा देते हुए भी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। स्वतन्त्रता के उपरान्त स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानने तथा उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अनेक समितियों व आयोगों का गठन किया गया। सन् 1958 में गठित दुर्गाबाई देशमुख समिति तथा सन् 1962 में गठित हंसा मेहता समिति स्त्री शिक्षा के प्रसार से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। कोठारी आयोग (1964–1966) ने भी स्त्री शिक्षा के प्रसार व प्रचार के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव अपने प्रतिवेदन में दिए। सन् 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्त्री शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जाने का संकल्प दोहराया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

स्त्री के नैसर्गिक गुणों को परिष्कृत करने के लिए – शिक्षा, दीक्षा और वातावरण की समुचित व्यवस्था के द्वारा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक, आध्यात्मिक पक्षों को सबलता प्राप्ति के लिए प्रयास करना। समुचित शिक्षा के माध्यम से ही स्त्री आत्मनिर्भर हो सकती है और उसमें स्वावलम्बन के गुणों का विकास भी पल्लवित होती है। स्त्री स्वयं सुशिक्षित होकर अपने सन्तान को भी सुसंस्कृत बनाने में सहायक होती है। किसी देश का विकास तभी संभव है जब वहां स्त्रियाँ सुशिक्षित हो और देश का सम्मानित नागरिक होने के नाते शिक्षा प्राप्त करना सभी स्त्री का मौलिक अधिकार है। समुचित शिक्षा के द्वारा स्त्रियों का सर्वांगीण विकास करना संभव है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते हुए जीविकोपार्जन हेतु व्यवसायिक शिक्षा के प्रति अभिरुचि जागृत करना। शिक्षा के प्रति जागरूकता से स्त्री सशक्तिकरण की आधार स्तम्भ को सबलता प्राप्त होना। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तरीय स्त्री शिक्षा के विकास क्रम को एक दृष्टि से अध्ययन करना ही अपेक्षित उद्देश्य है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व

1. महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे – दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।
2. यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी।

3. हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है।
4. इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाएँ जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है।
5. इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। अनेक समितियों व आयोगों के माध्यम से शिक्षाविदों ने महिला शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण योजनायें बनाई। जो मुख्यतः इस प्रकार से है।

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1952–53
2. श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958–1959
3. पाठ्यक्रम सम्बन्धी श्रीमती हंसा मेहता समिति 1962
4. ग्रामीण क्षेत्रीय बालिकाओं की शिक्षा के भक्तवत्सलम् समिति 1963
5. शिक्षा आयोग 1964–66
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
7. महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी।
9. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिये शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं।
10. यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।

उपरोक्त समितियों की अनुशंसाओं के कार्यरूप देने के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत की साक्षरता दर 1951 में कुल साक्षरता दर 18.33 में महिला साक्षरता दर 8.86 तथा पुरुष साक्षरता दर 27.16 रही। इसी क्रम में 1961 में कुल साक्षरता दर 28.31 जिसमें महिला साक्षरता दर 15.34 तथा पुरुष साक्षरता दर 40.40 रही। 1971 में कुल साक्षरता दर 24.45 में महिला साक्षरता दर 21.97 तथा पुरुष साक्षरता दर 45.95 रही। 1981 में कुल साक्षरता दर 43.75 में महिला साक्षरता दर 29.75 तथा पुरुष साक्षरता दर 56.37 रही। 1991 में कुल साक्षरता दर 52.21 में महिला साक्षरता दर 39.29 तथा पुरुष साक्षरता दर 64.13 रही। 2001 में कुल साक्षरता दर 65.38 में महिला साक्षरता दर 54.16 तथा पुरुष साक्षरता दर 75.85 रही। 2011 में कुल साक्षरता दर 74.4 में महिला साक्षरता दर 65.46 तथा पुरुष साक्षरता दर 82.14 रही। 1951 से 2011 के बीच महिला साक्षरता का प्रतिशत 65.46 तक पहुँचा। जो उतरोत्तर विकास क्रम में वृद्धि दिख रहा है, फिर भी स्त्री शिक्षा के प्रति गंभीर पहल की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक शिक्षा के संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हुए भी 100 में से 34.54 महिलाओं का निरक्षर होना उस प्रगति को असंतोषप्रद सिद्ध करता है। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी भी कहीं कोई कमी है जहाँ हमें विशेष प्रयासों की जरुरत है। सन् 2011 में भारत की स्त्री साक्षरता 65.46: तक पहुँच गई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए है। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए है पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत है। महिलाएं अब अपनी पेशेवर जिंदगी (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) को लेकर बहुत अधिक जागरूक है जिससे वे अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से सम्बंधित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर सके।

दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि शैक्षणिक शोषण के अन्तर्गत बेटियों को विद्यालय भेजने की जगह उनसे घरेलू कामकाज करवाना, अभिभावकों द्वारा बालिका–मजदूरी करवाना, बेटी को पराया धन के रूप में मान्यता, बेटे व बेटी में अंतर करके बेटी को शिक्षा से वंचित कर देना आदि मानसिकताओं को लेकर नारी का शैक्षणिक शोषण होता आया है। अशिक्षा के कारण एक गृहिणी होते हुए भी सही अर्थों में गृहिणी सिद्ध नहीं हो पाती है। बच्चों के लालन–पालन से लेकर घर की साज–संभाल तक किसी काम में भी कुशल न होने से उस सुख–सुविधा को जन्म नहीं दे पाती जिसकी घर में उपेक्षा की जाती है। नारी परावलम्बी और परमुखापेक्षी बनी हुई विकास से वंचित, शिक्षा से रहित मूक जीवन बिताती हुई अनागरिक की भांति परिवार में जीवन–यापन करती है। अशिक्षा के कारण नारी का बौद्धिक एवं नैतिक विकास भी उचित रूप से नहीं हो पाता। आमतौर पर घर–परिवार में यही मान्यता बनी रहती है कि नारी को घर का काम–काज ही देखना होता है, तो उसे शिक्षा की क्या आवश्यकता है? परिवार का मानस एक ऐसी रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाता है, जिसमें नारी को न तो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा न उसे वैसी सुविधा प्रदान की जाती है। अशिक्षा का शिकार नारी अनेकानेक पूर्वाग्रहों, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, कुसंस्कारों से ग्रस्त होकर अपने अधिकारों से वंचित हो

जाती है। अगर नारी शिक्षित होकर एक कुशल इंजीनियर, लेखिका, वकील, डॉक्टर भी बन जाती है , तो भी कई बार पति व समाज द्वारा ईर्ष्यावश उसका शैक्षणिक शोषण किया जाता है। परिणामस्वरूप नारी को शिक्षित होते हुए भी पति का अविश्वास झेलकर आर्थिक, मानसिक व दैहिक रूप से उत्पीड़ित होना पड़ता है। इन सभी मूलभूत समस्याओं पर परिवार, समाज और सरकार को बदलाव लाने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा।

संतुष्टि की बात है कि भारत के आजाद होने के बाद महिलाओं की दशा में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं को अब पुरुषों के समान अधिकार मिलने लगे है। महिलाएं अब वे सब काम आजादी से कर सकती है जिन्हें वे पहले करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती थी। आजादी के बाद बने भारत के संविधान में महिलाओं को वे सब लाभ, अधिकार, काम करने की स्वतंत्रता दी गयी है जिसका आनंद पहले सिर्फ पुरुष ही उठाते थे। वर्षों से अपने साथ होते बुरे सुलूक के बावजूद महिलाएं आज अपने आप को सामाजिक बेड़ियों से मुक्त पाकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास से अपने परिवार, समाज तथा देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

नारी को समाज में उसका उचित स्थान दिलवाने के लिए एक ओर राजा राममोहन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी जैसे महान् सुधारकों ने भरसक प्रयत्न किये, परन्तु आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव होता है। आज भी समाज में किसी न किसी रूप में नारी का शैक्षणिक स्तर पर शोषण किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और छेड़छाड़, घरों, सड़कों, बगीचों, कार्यालयों सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, हत्या आदि के जो मामले प्रकाश में आते हैं, उनमें से अधिकांश सबूतों के अभाव से टूट जाते हैं। बाल–विवाह की त्रासदी अनेक कन्याएं भोग रही हैं जो चाहे इन सभी का कारण नारी को अशिक्षित बनाकर उसे उसके मानवीय अधिकारों से वंचित करना है। वास्तविकता यह है कि एक शिक्षित नारी ही अपने परिवार की अशिक्षित नारियों को पढ़ाकर अपने अर्जित ज्ञान व विकसित क्षमता का लाभ पूरे परिवार को दे सकती है। नारी सशक्तीकरण की आधारशिला भी शिक्षा ही है। शिक्षा द्वारा नारी सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का उचित रूप से विकास कर सकती है, परन्तु आज नारी–सशक्तीकरण के क्षेत्र की मुख्य बाधाएँ हैं जैसे– महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासहीनता, सामाजिक कुरीतियां तथा पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व आदि। इन सभी समस्याओं से निजात दिलवाने का एक मात्र साधन शिक्षा ही है इसलिए समाज के आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है।

शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि नारी शिक्षित होकर पुरुष को अपना प्रतिद्वन्द्वी मानते हुए उसके सामने ही मोर्चा लेकर खड़ी हो जाए। बल्कि वह आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष के बराबर समानता का अधिकार प्राप्त करके उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध के समीकरण बनाने में सक्षम बने। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो वह न तो सफल गृहिणी बन सकेगी और न कुशल माता। समाज में बाल–अपराध बढ़ने का कारण बालक का मानसिक रूप से विकसित न होना है। अगर एक माँ ही अशिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करके उनका मानसिक विकास कैसे कर पाएगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण एवं विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षित नारी ही भविष्य में निराशा एवं शोषण के अन्धकार से निकलकर परिवार को सही राह दिखा सकती है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह शामिल करने से संबंधित है। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को संदर्भित करता है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्व मान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिये जितना कि पुरुष हो। यह सिद्ध सत्य है कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की सन्तानो का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि नारी शिक्षा की दिशा में ठोस प्रयास के बिना समाज में सम्मान का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं है । इसलिए स्त्री–शिक्षा की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चलाये जा रहे हैं। महिलाओं को शिक्षित बनाने का वास्तविक अर्थ उसे प्रगतिशील और सभ्य बनाना है ताकि उसमें तर्क–शक्ति का विकास हो सके। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार की व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेगी। एक अशिक्षित नारी न तो स्वयं का विकास कर सकती है और न ही परिवार के विकास में सहयोग दे सकती है। नारी सबसे पहले पूर्ण शिक्षित हो तभी वह शोषण व अत्याचारों के चक्रव्यूह से निकल कर मानवीय जीवन व्यतीत कर सकेगी।

स्त्री शिक्षा के प्रभाव से लोकतंत्र में सहभागिता

महिलाएं अब लोकतंत्र और मतदान संबंधी कार्यो में भी काफी अच्छा काम कर रही है जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था सुधर रही है। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। उदाहरण के तौर पर मतदान के दिन मतदान केंद्र पर हमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति नज़र आएगी। इंदिरा गाँधी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसंट, महादेवी वर्मा, सुचेता कृपलानी, पी.टी उषा, अमृता प्रीतम, पदमजा नायडू, कल्पना चावला, राजकुमारी अमृत कौर, मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन आदि कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने महिलाओं की जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिए है। आज नारी बेटी, माँ, बहन, पत्नी के रूप में अलग अलग क्षेत्र जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, विज्ञान तथा और विभागों में अपनी सेवाएं दे रही

है। वे अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ–साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। महिलाओं की दशा सुधारने में इतना सब होने के बाद भी हमे कहीं न कहीं उनके मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न से जुड़ी ख़बरें सुनने को मिल जाती है, जिस पर चिन्तन परम आवश्यक है।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में स्त्री का क्षेत्र केवल घर की चारदीवारी में रह कर बच्चों को देखभाल करना ही नहीं रह गया है। अब उसे समान अधिकार प्राप्त हैं वह शिक्षित होकर देश की गरीबी, भूख, उपेक्षा और अस्वस्थता आदि बुराइयों के विरुद्ध पुरुषों के साथ सहयोग प्रदान कर सकती है। अपने को अधिक समृद्ध कर सकती है, व्यावसायिक कुशलता बढ़ा सकती है और सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा वयस्क जीवन के प्रति स्त्रियों के विकास के लिए एक आधार के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा अन्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सी समस्याओं को पुरुषों से नहीं कह सकने के कारण महिलाएं कठिनाई का सामना करती रहती हैं। अगर महिलाएँ शिक्षित हों तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय विकास में मदद करता है। आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में मदद करती है। महिला शिक्षा पर सरकार और समाज को मिलकर जोर देना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *किरण बेदी (2013), जाग उठी नारी शक्ति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली*
2. *जे. पी. सिंह (2016), आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. PHI Learning Pvt. Ltd. ISBN 978-81-203-3232-2*
3. *जे. सी. अग्रवाल (2009) भारत में नारी शिक्षा. प्रभात प्रकाशन- ISBN 978-8185828770*
4. *पवित्र कुमार शर्मा (2016), नारी कभी ना हारी, आत्माराम एंड संस, दिल्ली ISBN 81-89356070*
5. *मोजम्मिल हसन (2006), भारतीय महिला एवं आधुनिकीकरण, कोमनवैल्थ पब्लिकेशन*
6. *राष्ट्रिय शिक्षा नीति (1986), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार*
7. *विकास सिंह (2018), नारी शिक्षा रू अतीत से वर्तमान तक, राज पब्लिकेशन, ISBN 978-9382281719*
8. *श्रीराम शर्मा आचार्य एवं डॉ. प्रणव पंडया, नारी उत्थान की समस्या और समाधान, युग निर्माण योजना, मथुरा*
9. *सारस्वत स्वप्निल (2005), महिला विकास एक परिदृ श्य, राधा प्रकाशन नई दिल्ली*
10. *सुमन कृष्ण कान्त (2001) इक्कीसवीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन, ISBN 978-8126702442*